

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, जेल रोड, किसान भवन भोपाल
/योजना/गै.त./मृ.कृ.जी.क.यो/2171

ई मेल

13

भोपाल, दिनांक 6/9/12

कलेक्टर

जिला.....(समस्त)

(म०प्र०)

विषय :- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 का संशोधन बाबत।

-00-

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड का पत्र क्रमांक बी-6/ नियमन /विविध / 578 दिनांक 27.09.08 द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना प्रचलित है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक /बोर्ड/योजना/गै.त./मृ.कृ.जी.क.यो/1146 दिनांक 14.01.11 द्वारा भी उक्त योजना में आंशिक संशोधन किया गया है।

दिनांक 15 जुलाई 2012 को भोपाल में आयोजित अटल किसान महापंचायत में अनिनीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषकों को दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 50,000/- (पचास हजार) के स्थान पर रुपये 1,00,000(एक लाख) की सहायता प्रदान की जायेगी की घोषणा की गई थी, जिसके क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

अतः मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अन्तर्गत मृत्यु होने पर योजना की क्लिप् 4(1) अनुसार रुपये 50,000/-के स्थान पर राशि रुपये 1.00 लाख स्वीकृत की जावे। योजना की शेष शर्तें पूर्व में जारी किये गये पत्रानुसार रहेंगी। उक्त आर्थिक सहायता राशि की पात्रता, पत्र जारी दिनांक से प्रभावशील होगी।

कृपया आपसे अनुरोध है कि संशोधित राशि का जिले में व्यापक प्रचार प्रसार क्रियान्वयन समन्वित करें।

(अजातशत्रु आवास्तव)

प्रबंध संचालक

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक /बोर्ड/योजना/गै.त./मृ.कृ.जी.क.यो/2172 से 2175 भोपाल, दिनांक 6/9/12

तिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष सहायक मान० मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म० प्र० शासन, भोपाल।

प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।

श्री जे.सी. भट्ट उप सचिव, मान० मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल।

संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय समस्त(म०प्र०)

प्रबंध संचालक

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

स.प्र. जयसिंह
सचिव, म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड